बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–16 दिसम्बर, 2014

बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014

सं०सं०–3/स्था०–02 (नियमावली)–87/2006 का 2035/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय लेखा लिपिकों के भर्ती एवं अन्य शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं ।–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।–
   (i) यह नियमावली "बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014" कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में होगा ।
   (iii) यह इसके बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी ।

2. **परिभाषाएँ** ।– इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (i) **"संवर्ग"** से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा लिपिक संवर्ग;
   (ii) **"सरकार"** से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
   (iii) **"आयोग"** से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;
   (iv) **"नियत तिथि"** से अभिप्रेत है नियमावली के प्रारंभ होने की तिथि ;
   (v) **"कोटि"** से अभिप्रेत है नियमावली में विनिर्दिष्ट कोटि ;
   (vi) **"जोन /प्रक्षेत्र"** से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय ;
   (vii) **"अंचल"** से अभिप्रेत है अधीक्षण अभियंता का कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय ;
   (viii) **"प्रमण्डल"** से अभिप्रेत हैं प्रमण्डलीय कार्यालय या कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
   (ix) **"अवर प्रमण्डल"** से अभिप्रेत है अवर प्रमण्डल पदाधिकारी का कार्यालय ;
   (x) **"संलग्न कार्यालय"** से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता क्षेत्र के संबंधित ऐसे सभी कार्यालय ।
   (xi) **"नियुक्ति प्राधिकार"** से अभिप्रेत है क्षेत्रीय मुख्य अभियंता ।
   (xii) **"विभाग"** से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार।

3. **संवर्ग की संरचना** ।– लेखा लिपिक संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :–

पदनाम	कोटि
कनीय लेखा लिपिक	मूल कोटि
वरीय लेखा लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर
प्रधान लेखापाल	द्वितीय प्रोन्नति स्तर

इस संवर्ग में विभिन्न पदसोपानों पर वही वेतन भत्ते देय होगें जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विनिश्चित की जाय।

4. <u>संवर्ग</u> ।— यह संवर्ग मुख्य अभियंता परिक्षेत्रवार होगा ।

5. <u>संवर्ग का स्वीकृत बल</u> ।—संवर्ग के स्वीकृत बल का आवश्यकतानुसार समय—समय पर परिक्षेत्रवार पुनर्निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा किन्तु प्रत्येक प्रक्षेत्र में नियत तिथि को संवर्ग के स्वीकृत बल में कनीय लेखा लिपिक एवं वरीय लेखा लिपिक का पद 2:1 के अनुपात में होगा जिसमें कार्यरत बल सम्मिलित होगा।

6. <u>आरक्षण</u> ।— बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 1991 एवं इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर विहित नियमावली रोस्टर, नियुक्ति तथा प्रोन्नतियों पर लागू होगें।

7. **उम्र सीमा।** — कनीय लेखा लिपिक कोटि में नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवार की आयु आयोग को प्रेषित अधियाचना के वर्ष में पहली अगस्त को 18 वर्ष से कम नहीं होगी। अधिकतम आयु वही रहेगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प के तहत आरक्षण कोटिवार समय—समय पर विनिश्चित की जाय।

सरकारी सेवकों के लिए जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेंगे, अधिकतम आयु सीमा राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प के अधीन विनिश्चित अधिकतम आयु सीमा के अनुसार होगा।

8. **शैक्षणिक अर्हता** — कनीय लेखा लिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक अर्हता गणित या विज्ञान या अर्थशास्त्र या वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय के साथ राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण होगा साथ ही कम्प्यूटर में D.C.A. (DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION) कोर्स की योग्यता रखना भी आवश्यक होगा।

9. कनीय लेखा लिपिक कोटि के पद पर, प्राधिकृत बल के आधार पर, सीधी भर्ती आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी।

10. **आरक्षण।**— चूंकि सभी परिक्षेत्रीय मुख्य अभियंता "मुफस्सिंल संवर्ग संधारण अधिनियम 1998" के अनुसार नियुक्ति पदाधिकारी हैं, अतः सभी मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कनीय लेखा लिपिक की कोटियों में रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी यथा प्रमण्डलीय आयुक्त से प्राप्त करते हुए नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रशासी विभाग को सूचित करते हुए सीधे अपने स्तर से आयोग को भेजेंगे और वहाँ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई करेंगे।

11. **पाठ्यक्रम**।— प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उप कंडिका (ii) हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम वही होंगे जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग के परामर्श से विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाएगी।

12. **परिवीक्षा अवधि** ।— कनीय लेखा लिपिक के पद पर कोई भी नियुक्ति प्रारंभ में परिवीक्षा पर होगी । परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी । परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी जा सकेगी । वर्णित अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा ।

13.. **प्रशिक्षण** ।— परिवीक्षा अवधि मे कनीय लेखा लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो विभाग द्वारा विहित की जाय ।

14. **सम्पुष्टि** ।— कनीय लेखा लिपिक कोटि में परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने, राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा/लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने तथा कम्पयुटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा ।

15. **वरीयता**। —

(1) कनीय/वरीय लेखा लिपिकों की वरीयता का संधारण प्रत्येक परिक्षेत्रवार मुख्य अभियंता के कार्यालय से होगा ।

(2) आयोग की अनुशंसा पर नियम 8 के अधीन नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा–क्रमानुसार होगी ।

(3) किसी कर्मी के अनुरोध पर एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानान्तरण कि स्थिति में उक्त कर्मी स्थानान्तरित परिक्षेत्र में सबसे कनीय समझे जायेंगे, किन्तु प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने पर संबंधित कर्मी की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

16 **सम्वर्गीय प्रोन्नति** ।—

(1) वरीय लेखा लिपिक के लिए कुल स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों के विरूद्व प्रोन्नति विभागीय लेखा परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के पश्चात दी जा सकेगी ।

(2) वरीय लेखा लिपिक के पद पर कार्यरत कर्मी को रिक्ति के अनुसार प्रधान लेखापाल के पद पर एतद् हेतु गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर अपने परिक्षेत्र में उनकी पारस्परिक वरीयता के आधार पर प्रोन्नति दी जा सकेगी ।

(3) प्रोन्नति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय– समय पर, विनिश्चत कालावधि पूरा करना आवश्यक होगा ।

17. <u>प्रोन्नति समिति</u> ।– वरीय लेखा लिपिक एवं प्रधान लेखापाल के पदों पर प्रोन्नति मुख्य अभियंता स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में दी जा सकेगी। समिति का गठन विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

18 <u>निर्वचन</u> ।–जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में संदेह उत्पन्न हो, वहाँ जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात विनिश्चय अंतिम होगा ।

19. <u>प्रकीर्ण</u> ।–(1) **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।**– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय– समय पर यथा संशोधित) के प्रावधान लेखा लिपिक संवर्ग के अनुशासन, वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील संबंधी मामलों में लागू होंगे ।

(2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्त्तें, बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होंगी ।

(3) इस नियमावली मे से किसी नियम के निर्वचन मे कोई संदेह की दशा में विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिसपर विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के पश्चात अंतिम होगा ।

(4) इस नियमावली के प्रावाधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विधि विभाग के परामर्श के पश्चात विभाग राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाइयों के लिए निराकरण के आवश्यक या समीचीन हो।

(20) <u>निरसन एवं व्यावृति</u> ।–(1) इस संदर्भ में वर्तमान नियमों/विनियमों को एदत् द्वारा निरस्त किया जाता है। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी वर्तमान नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गई कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

(2) उस निरसन के होते हुए भी इस नियम के उपनियम (1) के अधीन तथा उस हद तक जब वे इस नियमावली के प्रावधानों के विरूद्व न हों, उसके अधीन प्रोद्भूत माना गया कोई अधिकार एवं उनके अधीन उपगत दायित्व प्रभावित नहीं होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के सचिव,
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक–3/स्था०–02 (नियमावली)–87/2006 का **2035**/पटना–15, दिनांक–16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह०/–

(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था०–02 (नियमावली)–87/2006 का **2035**/पटना–15, दिनांक–16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–3/स्था०–02 (नियमावली)–87/2006 का **2035**/पटना–15, दिनांक–16 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि –माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव।

16 दिसम्बर, 2014

स0–3/स्था0–02 (नियमावली)–87/2006/2036 बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)
अवर सचिव,
जल संसाधन विभाग।

The 16th..December, 2014

BIHAR WATER RESOURCE DEPARTMENT FIELD ACCOUNTS CLERK CADRE RULES-2014

N0.-3/Astha-02-(Niyamawali)-87/2006- 2035 -In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Cadre Rules to regulate the recruitment and others service conditions of the Field Accounts Clerks of the Water Resources Department :-

1. Short title, extent and commencement - (1)These Rules may be called the "**BIHAR WATER RESOURCE DEPARTMENT FIELD ACCOUNTS CLERK CADRE RULES-2014**"

(2) It shall extend to the all offices under Water Resource Department of the State of Bihar,

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Gazette of Bihar.

2. Definition - In these rules, unless there is anything contrary to the subject or context :-

(i) "**Cadre**" means the Accounts clerks cadre working in the offices under Water Resource Department ;

(ii) "**Government**" means the Government of Bihar;

(iii) "**Commission**" means Bihar Staff Selection Commission;

(iv) "**Fixed Date**" means the category specified in these Rules;

(v) "**Category**" means the category specified in these Rules;

(vi) "**Zone/Region**" means office of the Chief Engineer and below offices;

(vii) "**Circle**" means office of the Superintending Engineer and below offices;

(viii) "**Division**" means divisional office or office of the Executive Engineer;

(x) **"Attached Offices"** means all such offices within the zone of the Chief Engineer;

(xi) **"Appointing Authority"** means The Regional Chief Engineer;

(xii) **"Department"** means Water Resources Department.

3. Structure of the Cadre - Structure of the field Account Clerk cadre shall be as Follows:-

SL. No	Name Of Cadre	Category
01	Junior Accounts Clerk	Basic Category
02	Senior Accounts Clerk	First Promotion level
03	Head Accountant	Second Promotion Level

The Pay scale of above posts in this cadre shall be as may be determined by the Government from time to time.

4. Cadre :- The cadre shall be Chief Engineer's Zone level.

5. Sanctioned Strength of the Cadre - The sanction strength of the cadre shall be re-determined by the Administrative Department with consent of the Finance Department. but, the ratio of the Junior Accounts Clerk and Senior Accounts Clerk shall be 2:1 of the sanctioned strength of the cadre at any point of time, in which, working strength shall also be included.

6. Reservation - The Provisions of The Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Cast, Scheduled Tribe and Other Backward Class) Act-1991 and the Rules and roster there under as prescribed by State Government, from time to time, shall be applicable to the appointment and promotions.

7. Age Limits - For the appointment in the category of Junior Accounts Clerk, Age of applicant for appearing in the Competitive Examination shall not be less than 18 years as on 1st August of the year of requisition sent to the Commission. Maximum age limit shall be same as may be determined under the resolution of State Government (General Administrative Department) reservation category wise, from time to time.

Maximum age limit for the Government servant,- who wants to participate in the Competition, shall be according to the sankalpa of State Government (General Administrative Department).

8. Educational Qualifications - The educational qualification for appointment to the post of Junior Accounts Clerk shall be Intermediate passed from any Board / University recognized by State Government or Central Government with Mathematics or Science or Economics or Commerce or Statistics. Simultaneously qualification of DCA (Diploma in Computer Application) in computer shall also be essential.

9. The direct recruitment to the post of the Junior Accounts Clerk category shall be made on the basis of the sanctioned strength through The Competitive Examination conducted by the Commission.

10. **Reservation** - Since all the Chief Engineers of concerning zone are the appointing authority according to the "State Muffasil Cadre Controlling Act 1998", therefore, all the Chief Engineers shall send the requisition of vacancies in Junior Accounts Clerk category of their respective zones directly to the Commission informing the Administrative Department, after obtaining roster clearance from the competent officer (Divisional Commissioner) and shall take action for the appointment on the basis of recommendation obtained from the Commission,

11. **Syllabus** - For the competitive examination referred Rule-8, the qualifications and syllabus shall be the same which will be determined in view of the provisions of the Bihar Staff Selection Commission Examination conducting Rules, in consultation with the Water Resources Department

12. **Probation Period** - Any appointment to the post of Junior Accounts Clerk shall initially be on probation. Probation period shall be of two years. The Probation period may be extended for further one year, if service is not found satisfactory during the said period provided that the appointing authority is satisfied that there is chance of improvement. If the service is not found satisfactory even during the extended period, such employee may be discharged from the service.

13. **Training** - It shall be essential for the Junior Accounts Clerk to take part in such training during probation period as may be prescribed by the Department.

14. **Confirmation** - Service of any such person appointed on probation in the Junior Accounts Clerk category may be confirmed by the appointing authority after satisfactory completion of the probation period, passing of Departmental accounts examination conducted by "Board of Revenue" Govt. of Bihar and course in Computer capability test examination.

15. **Seniority - (1)** Seniority of Junior/Senior Accounts Clerks shall be maintained zone wise in the office of every Chief Engineer.

(2) Inter-se Seniority of the employees appointed on recommendation of the Commission under Rule-8 shall be maintained in accordance with the order of merit as recommended by the Commission,

(3) In case of transferred on request of any employee from one zone to another zone, he shall be the junior most in the transferred zone, but transferred on administrative ground, then his seniority of the concerned employee shall be unaffected.

16. Cadre Promotion :- (1) Promotions against the vacant posts amongst the total sanctioned strength, for Senior Accounts Clerk shall be given after the recommendation of Departmental Promotion Committee on the basis of passing of Departmental Account Examination.

(2) On the recommendation of Departmental Promotion Committee constituted for this purpose, promotion may be granted to the employees working against the posts of Senior Accounts Clerk to the post of Head Accountant as per their seniority in their respective zone as per vacancy.

(3) It shall be essential to complete the Kalawadhi determined by the General Administration Department time to time for promotion.

17. Promotion Committee - Promotion to the post of Senior Accounts Clerk and Head Accountant may be granted at the Chief Engineer level by the Promotion Committee, constituted under his Chairmanship. The Committee shall be constituted by the Department.

18. Interpretation - Where any doubt arises in interpretation of any provision of these Rules that matter will be referred to the Water Resources Department and after consultation with Law Department whose decision shall be final.

19. Miscellaneous -

(1) Discipline, Control and appeal - The Provisions of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time) shall apply to the Field Accounts Clerk cadre relating to the matters of discipline, controls and appeals.

(2) Service conditions particularly not provided under these Rules, shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government from time to time.

(3) In case of any doubt in the interpretation of any rule of these rules, the same will be referred to the Department and the decision of Department shall be final after consultation with the Law Department.

(4) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions to these rules, The Government after consultation with Law Department may, by the order published in the Official Gazette, make such provision which is not inconsistent with the provisions of these rules, and is be necessary or expedient for removing the difficulty.

20. Repeal and Saving -

(1) The existing rules & regulations in this regard are hereby repealed.

Provided that notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provision of existing rules / regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these Rules as if this Rule was in force on the day on which such thing was done or action was taken.

(2) Notwithstanding such repeal under sub rule (1) and to the extent they are not repugnant to the provision of these rules, any right accrued or deemed to have been accrued there under or any liability or obligation incurred there under shall not be affected.

By the order of Governor,
Sd./-
Dipak Kumar Singh.
Secretary to Govt.,
Water Recourses Department.

Memo NO.-3/Astha-02-(Niyamawali)-87/2006 ka 2035 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014.

Copy Forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna with request to publish this notification in extraordinary issue of the Bihar Gazette and to send its five hundred copies to this department.

Sd./-

(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo NO.-3/Astha-02-(Niyamawali)-87/2006 ka 2035 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014.

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/Finance Department, Bihar, Patna/ All Departments/All Divisional Commissioner/Concerned Treasury/ Registrar General High Court/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/C.M. Secretariat/Secretary, BSSC, Patna.

Sd./-
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.

Memo NO.-3/Astha-02-(Niyamawali)-87/2006 ka 2035 /Patna-15, Dated- 16th Dec, 2014.

Copy forwarded to P.S. to Minister WRD/P.S. to Secretary/All Engineer in chief/Joint Secretary (Management)/ Director, Land Acquisition and Re-habilitation/All Deputy Secretary (Management)/All Under Secretaries/All Chief Engineer, WRD, Bihar.

16.12.14
(Ashish Kumar Sinha)
Under Secretary to Govt.